438

मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च-मई, 1998 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1998 (चैत्र 13, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची मे सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का दिनांक 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री प्रभात कुमार पाण्डेय, ईश्वरदास रोहाणी, ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, जबलपुर जिले की गोसलपुर विद्युत इकाई बन्द होने की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नन्हेलाल धुर्वे, पहलवान सिंह मरावी तथा डॉ. नन्हे सिंह ठाकुर, सदस्य, जबलपुर जिले के ग्राम सुकरी में दो परिवारों के मध्य मारपीट होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री नोबेल कुमार वर्मा, सदस्य, बिलासपुर जिले के चन्द्रपुर क्षेत्र में निम्न दाब पर विद्युत प्रदाय होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री प्रेमसिंह सिदार, सदस्य, रायगढ़ जिले के खम्हार पाकुट बांध से किसानो को सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री बच्चन नायक, सदस्य, सीहोर स्थित चीनी मिल द्वारा सीवन नदी में प्रदूषित पानी छोड़े जाने की ओर पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बच्चन नायक, सदस्य, गुना जिले में मुरम का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 6 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अध्यापारिक निगम (निरसन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 7 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

-2-

निर्धारित समय 1 घन्टा

(3) श्री बी.आर.यादव, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 9 सन् 1998) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1998 (क्रमांक 10 सन् 1998) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. अशासकीय संकल्प

40 मि. (1) श्री बच्चन नायक, श्री ईश्वरदास रोहाणी तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश की रजक (धोबी) समाज को अनुसूचित जाति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाय."

50 मि. (2) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि प्रदेश की विभिन्न कोयला खदानों से विस्थापित परिवारों को खदान प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से आदर्श पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाय."

50 मि. (3) श्री रामविचार नेताम, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

" सदन का यह मत है कि शासन ग्रामीण क्षेत्र में मरघट, कब्रिस्तान, रास्ता, गोठानों एवं तालाबों में किये गये अतिक्रमण सख्ती से हटाये."

भोपाल :
दिनांक : 2 अप्रैल, 1998

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा